

पंचायत समिति के वर्तमान वित्तीय साधन व अन्य आंकड़े

भाग (क)- सामान्य सूचना

1	पंचायत समिति का नाम.....			
2	जिला.....			
3	पंचायत समिति के क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों की संख्या:.....			
4	पंचायत समिति के आधारभूत आंकड़े:-			
	(1) पंचायत समिति का क्षेत्रफल.....			वर्ग किलोमीटर
	(2) पंचायत समिति की जनसंख्या:	पुरुष	महिला	कुल
	क 2001
	ख 2011
	(3) दिसम्बर 2020 में पंचायत समिति में कुल वार्डों की संख्या			
5	2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत समिति क्षेत्र में कुल परिवारों की संख्या:.....			
6	पंचायत समिति की अपनी सम्पति का विवरण:			
	(क) पंचायत समिति के स्वामित्व में कुल भूमि			हैक्टेयर
	(ख) कुल भूमि में से:			
	1 बागीचा			हैक्टेयर
	2 घासबी			हैक्टेयर
	3 कृषि योग्य भूमि			हैक्टेयर
	4 अन्य विवरण दें			
	1			हैक्टेयर
	2			हैक्टेयर
	(ग) क्या पंचायत समिति के स्वामित्व में भूमि में कोई नाजायज कब्जा है ?			हाँ/नहीं
	(घ) यदि हाँ, तो नाजायज कब्जा बहाली के लिये उठाये गये पगों का विवरण दें ।			
	(ङ) पंचायत समिति के स्वामित्व में अन्य स्थाई सम्पत्ति:			
1	कार्यालय भवन			
	i) संख्या			
	ii) क्षेत्रफल			वर्ग मीटर

2	दुकानें	
i)	संख्या
ii)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
3	कोई अन्य सम्पति जैसे सराय इत्यादि, विवरण दें:	
i)	संख्या
ii)	क्षेत्रफल वर्ग मीटर
7	पंचायत समिति के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो, तो उसका विवरण दें।
8	पंचायत समिति में यदि हर वर्ष कोई महत्वपूर्ण मेला लगता हो, तो उसका विवरण दें।

भाग (ख)-वित्तीय साधन व व्यय सम्बन्धी सूचना

- 1 पंचायत समिति द्वारा बैंक या डाकघर में जमा राशि (रुपये) 31 मार्च, 2021 तक
- 2 पंचायत समिति की विभिन्न साधनों से वास्तविक/ सम्भावित आय का विवरण:

(रुपयों में)

मद/आय/ प्राप्ति का विवरण	वर्ष					वर्ष				
	वास्तविक आय/प्रत्याशित आय					सम्भावित आय				
	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22	2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. पंचायत समिति की गैर-कर आय (Non Tax Income)										
1. किराया										
2. धन										
3. ब्याज										
4. घास की नीलामी										
5. बागीचे से आय										
6. कोई अन्य										
कुल गैर-कर आय Total (Non Tax Income)										
2. अनुदान: (GIA) (केन्द्रीय एवं राज्य वितायोग के अतिरिक्त)										
1. राज्य सरकार से										
क) राज्य स्कीमों के										

अन्तर्गत									
ख) राज्य वित्तायोग अनुदान									
ग) अन्य									
2. केंद्र सरकार से									
क) केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत									
ख) केंद्रीय वित्तायोग अनुदान									
ग) अन्य									
3. किसी अन्य स्रोत से (वर्णन करें)									
4. स्थानीय जिला नियोजन, विकास में जन सहयोग, स्थानीय क्षेत्र विधायक निधि योजना/सांसद, क्षेत्र विकास निधि योजना डी.पी.ए.पी./आई.डब्ल्यू. डी.पी / आई.आर.डी.पी. /इत्यादि स्कीमों के अन्तर्गत वित्तीय प्राप्ति।									
कुल प्राप्तियां Grand Total (1 से 4)									

3. पंचायत समिति के वास्तविक व्यय एवं सम्भावित व्यय का विवरण:-

(रुपयों में)

व्यय का विवरण	वर्ष					वर्ष				
	वास्तविक व्यय/प्रत्याशित व्यय					सम्भावित व्यय				
	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22	2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 प्रतिवद्ध दायित्वों पर व्ययः										
1 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को मानदेय/ भत्ता										
2. बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को भत्ता										
3. कार्यालय व्यय										
4 कनिष्ठ अभियन्ता का मानदेय										

5. कनिष्ठ लेखाकार का मानदेय										
6.अन्य व्यय (विवरण दें)										
योग (1 से 6)										

2. पंचायत समिति को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा (81) के अन्तर्गत संविधिक रूप से सौंपे गए कार्यों में से जिन कार्यों का कार्यभार पंचायत समिति द्वारा सम्भाला गया है, उन कार्यों पर किए गए वास्तविक एवं सम्भावित व्यय का ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका में दें।

व्यय का विवरण	वर्ष					वर्ष				
	वास्तविक व्यय/प्रत्याशित व्यय					सम्भावित व्यय				
	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22	2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
पंचायत समिति के कृत्य (धारा 81 के अन्तर्गत)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मछली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक निर्माण, सहकारिता, कुटीर उघोग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन और खेलकूद और ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम;										
ख) अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकम्प, दुर्भिक्षा, टिड़ीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपर्तियों द्वारा जनित कष्टों की दशा में आपात राहत की व्यवस्था;										
ग) स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्यौहारों से सम्बन्धित इक्तजाम;										
घ) सार्वजनिक नौधारों का प्रबन्ध;										
ड) सार्वजनिक मण्डियों, मैतों और प्रदर्शनियों का प्रबन्ध; और										
च) राज्य सरकार व जिला परिषद के अनुसोदन से कोई अन्य कृत्य।										
कुल योग-2										

3. पंचायत समिति को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 पी0 सी0एच0-एच0सी0/1/12/87-10406-606 दिनांक 31.7.1997 के माध्यम से सौंपे गए कार्यों जिन्हें हिं0 प्र0 प्रथम वित्तायोग की रिपोर्ट के अध्याय-IX में छंटित (short listed) किया गया है, में से जिन कार्यों का कार्यभार पंचायत समिति द्वारा सम्भाला गया है, उन कार्यों पर किए गए वास्तविक एवं सम्भावित व्यय का ल्यौरा नीचे दी गई तालिका में दें :

(रुपयों में)

मंद/व्यय का विवरण	वर्ष					वर्ष				
	वास्तविक व्यय/प्रत्याशित व्यय					सम्भावित व्यय				
	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22	2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. Agriculture Deptt.										
1. Schemes, relating to soil and water conservation (subsidy portion).										
2. Biogas development (subsidy portion)										
3. Crop protection-subsidy on pesticides.										
B. Animal Husbandry Department										
4. Feed and Fodder Development scheme (subsidy and demonstrations).										
5. Construction and maintenance of Veterinary dispensary buildings.										
C. Ayurveda and Homeopathy Department										
6. Construction and maintenance of buildings of ISM dispensaries and staff quarters.										
7. Construction and maintenance of buildings attached to ISM dispensaries.										
D. Education Deptt.										
8. Maintenance of Primary School buildings.										
9. Supply and distribution of material and equipment to the Middle Schools.										
10. Maintenance of High School buildings and related infrastructure.										
E. Fisheries Deptt.										
11. Renovation of existing community ponds and construction of new community ponds.										

मंद/व्यय का विवरण	वर्ष					वर्ष				
	वास्तविक व्यय/प्रत्याशित व्यय					सम्भावित व्यय				
	2017-18	18-19	19-20	20-21	21-22	2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12. Maintenance and control of community ponds.										
13. Sanction of subsidy for Govt./FFDA schemes for repair/renovation and construction of ponds.										
F. Forest Department.										
14. Execution of Micro plans under the “other afforestation schemes”.										
15. Taking over management and responsibility of assets created under the above schemes.										
G. Health and Family Welfare Department.										
16. Construction and maintenance of Health sub-centre buildings and staff quarters.										
H. Horticulture Deptt.										
17. Organisation of campaigns, fairs, meets, exhibitions, seminars etc.										
17. Organisation of farmers training camps, study tours, seminar etc.										
18. Organising horticultural inputs distribution system. (other than fungicides and pesticides)										
I. Irrigation and Public Health Department.										
19. Routine maintenance of hand pumps.										
20. Routine maintenance of drinking water and irrigation schemes which have been executed at a cost of Rs. One lakh and below.										
21. Prevention and control of water pollution.										
J. Public Works Department :										
23. Identification, construction and maintenance of village paths, culverts and lanes.										
24. Construction and maintenance of small foot bridges upto 10 mtr. span on nullahs/streams on village paths.										
25. Construction and maintenance of buildings belonging to Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads.										
26. Identification, construction and maintenance of Mule roads.										
27. Construction and maintenance of Jhullas across rivers/streams on village paths or mule paths.										
28. Maintenance and running of boats and ferries.										

K. Rural Development Department :								
29. Ownership and maintenance of community assets viz. Panchayat Ghars, Community Centres, Mahila/Yuvak Mandal Bhawans and IRDP stalls etc.								
30. Maintenance of the assets created under SDP/VMJS/ MPLAD/ MLALAD/ IRDP /SGSY /JGSY/ IWDP /DPAP etc.								
31. Implementation of the State and Central Rural sanitation programmes.								
32. Programme implementation of SDP/VMJS, MPLAD, MLALAD, IRDP, SGSY/ JGSY/ IWDP / DPAP etc.								
L. Social and Women Welfare Department :								
33. Construction of Anganwari Centres.								
34. Publicity component of the enforcement of PCR Act.								
35. Implementation of the Schemes relating to improvement of Harijan Bastis.								
Any other (Please specify) 1. 2. 3. 4.								
व्यय (मंद-३)								
4. रख-रखाव सम्बन्धी व्यय)								
कुल व्यय (मंद 1 से 4)								

भाग (ग)-वित्तीय संसाधनों का अनुमान

1. क्या पंचायत समिति द्वारा वर्तमान हां/ नहीं

स्थिति में भाग ख में क्रम संख्या 2 पर वर्णित आय के साधनों के अतिरिक्त किसी अन्य साधन से आय प्राप्त करना चाहती है ?

2. यदि हां, तो इस प्रकार के साधनों का विवरण वार्षिक आय एवं सम्भावित आय सहित दें।

(रूपरेखा में)

प्रस्तावित आय के साधनों का ब्यौरा	प्रस्तावित दर	सम्भावित आय/ वर्ष				
		2022-23	23-24	24-25	25-26	26-27
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
2.						
3.						
4.						
5.						
कुल आय						

भाग (घ)-पंचायत समिति को सौंपे गये कार्यों को निपटाने सम्बन्धी कठिनाईयां/सुझाव

1. पंचायत समिति को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 81 के अन्तर्गत संविधिक रूप से सौंपे गए कार्यों में से जिन कार्यों का कार्यभार पंचायत समिति द्वारा अभी तक नहीं सम्भाला गया है इसके लिए नीचे दिए गए कारणों में से उचित कारण/कारणों के अन्तर्गत सही (✓) का निशान लगाएं ।

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं हैं।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण
1	2	3	4	5	6
क) एकीकृत ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक वानिकी, पशुपालन और मछली पालन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, संचार और लोक निर्माण, सहकारिता, कुटीर उद्योग, महिला, युवा और शिशु कल्याण, अशक्त और निराश्रितों का कल्याण, पिछड़े वर्गों का कल्याण, परिवार नियोजन और खेलकूद और ग्रामीण नियोजन प्रोग्राम					
ख) अग्नि, बाढ़, सूखा, भूकम्प, दुर्भिक्ष, टिड़ीदल, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा जनित कष्टों की दशा में आपात राहत की व्यवस्था;					
ग) स्थानीय तीर्थ यात्राओं और त्यौहारों से सम्बन्धित इन्तजाम;					
घ) सार्वजनिक नौधारों का प्रबन्ध;					
ङ) सार्वजनिक मण्डियों, मेलों और प्रदर्शनियों का प्रबन्ध; और					
च) राज्य सरकार व जिला परिषद के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य।					

2. पंचायत समिति को सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों में से जिन कार्यों का कार्यभार अभी तक पंचायत समिति द्वारा नहीं सम्भाला गया है, इसके लिए नीचे दिए गए कारणों में से उचित कारण/कारणों के अन्तर्गत सही (✓) का निशान लगाएं ।

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं हैं।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण दें
1	2	3	4	5	6
A. Agriculture Deptt.					
1. Schemes, relating to soil and water conservation (subsidy portion).					
2. Biogas development (subsidy portion)					
3. Crop protection-subsidy on pesticides.					
B. Animal Husbandry Department					
4. Feed and Fodder Development scheme (subsidy and demonstrations).					
5. Construction and maintenance of Veterinary dispensary buildings.					
C. Ayurveda and Homeopathy Department					
6. Construction and maintenance of buildings of ISM dispensaries and staff quarters.					
7. Construction and maintenance of buildings attached to ISM dispensaries.					
D. Education Deptt.					
8. Maintenance of Primary School buildings.					
9. Supply and distribution of material and equipment to the Middle Schools.					

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं हैं।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण दें
1	2	3	4	5	6
10. Maintenance of High School buildings and related infrastructure.					
E. Fisheries Deptt.					
11. Renovation of existing community ponds and construction of new community ponds.					
12. Maintenance and control of community ponds.					
13. Sanction of subsidy for Govt./FFDA schemes for repair/renovation and construction of ponds.					
F. Forest Department.					
14. Execution of Micro plans under the “other afforestation schemes”.					
15. Taking over management and responsibility of assets created under the above schemes.					
G. Health and Family Welfare Department.					
16. Construction and maintenance of Health sub-centre buildings and staff quarters.					
H. Horticulture Deptt.					
17. Organisation of campaigns, fairs, meets, exhibitions, seminars etc.					
18. Organisation of farmers training camps, study tours, seminar etc.					

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं हैं।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण दें
1	2	3	4	5	6
19. Organising horticultural inputs distribution system. (other than fungicides and pesticides)					
I. Irrigation and Public Health Department. Routine maintenance of hand pumps.					
20. Routine maintenance of drinking water and irrigation schemes which have been executed at a cost of Rs. One lakh and below.					
21. Prevention and control of water pollution.					
J. Public Works Department : 22. Identification, construction and maintenance of village paths, culverts and lanes.					
24. Construction and maintenance of small foot bridges upto 10 mtr. span on nallahs/streams on village paths.					
25. Construction and maintenance of buildings belonging to Gram Panchayats, Panchayat Samitis and Zila Parishads.					
26. Identification, construction and maintenance of Mule roads.					

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं है।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण दें
1	2	3	4	5	6
27. Construction and maintenance of Jhullas across rivers/streams on village paths or mule paths.					
28. Maintenance and running of boats and ferries.					
K. Rural Development Department : 29. Ownership and maintenance of community assets viz. Panchayat Ghars, Community Centres, Mahila/Yuvak Mandal Bhawans and IRDP stalls etc.					
30. Maintenance of the assets created under SDP/VMJS/ MPLAD/ MLALAD/ IRDP /SGSY /JGSY/ IWDP /DPAP etc.					
31. Implementation of the State and Central Rural sanitation programmes.					
32. Programme implementation of SDP/VMJS/MPLAD, MLALAD, IRDP, SGSY, JGSY/ IWDP / DPAP etc.					

कार्यों का नाम	सौंपे गये कार्यों की जानकारी नहीं है।	पंचायत समिति के पास इनके लिए समुचित संसाधन नहीं हैं।	स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं है।	पंचायत समिति इन कार्यों का कार्य-भार सम्भालने में सक्षम नहीं है।	अन्य, विवरण दें
1	2	3	4	5	6
L. Social and Women Welfare Department :					
33. Construction of Anganwari Centres.					
34. Publicity component of the enforcement of PCR Act.					
35. Implementation of the Schemes relating to improvement of Harijan Bastis.					
Any other (Please specify)					
1.					
2.					
3.					
4.					

3. क्या पंचायत समिति को अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाली ग्राम पंचायतों से राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों के अन्तर्गत, कार्य योजनाएं प्राप्त हो रही हैं ? हाँ/नहीं
4. यदि हाँ, तो क्या पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं को समेकित करके जिला परिषद को भेजा गया है ? हाँ/नहीं
5. यदि नहीं, तो कारण बताएं ।
6. राज्य सरकार की विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी नीति के सुदृढ़ीकरण करने के लिए आवश्यक सुझाव भी दें ।

भाग (ड) पंचायत समिति द्वारा प्राप्त धनराशि, अनुदानों का लेखा-जोखा।

i क्या पंचायत समिति द्वारा विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त विकासात्मक धनराशि, आय तथा अनुदानों व किए गए खर्चों का पंचायत समिति स्तर पर खातावही इत्यादि में इन्ड्राज किया जा रहा है।
- हाँ/नहीं

ii यदि हाँ तो कौन सी विधि अपनाई जा रही है।

(a) Manual

(b) यदि हाँ, तो क्या Cashbook, Ledger and Work Register तैयार किए जा रहे हैं।

(c) यदि नहीं, तो क्या विभाग द्वारा कोई Software उपलब्ध करवाया गया है।

(d) यदि हाँ, तो Software द्वारा क्या रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।

iii यदि पंचायत समिति द्वारा खातावही में अपनी प्राप्तियों एवं खर्चों का इन्ड्राज नहीं किया जा रहा है तो कारण बताएं।

(a) -----

(b) -----

iv सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई धनराशि में से पिछले पाँच बर्षों में विकासात्मक कार्यों तथा वेतन/मजदूरी/अन्य पर कितना खर्च किया गया है।

(a) विकासात्मक कार्य - कुल धनराशि का प्रतिशत

(b) वेतन/मजदूरी - कुल धनराशि का प्रतिशत

(c) अन्य व्यय - कुल धनराशि का प्रतिशत

**भरने वाले के हस्ताक्षर
कार्यालय मोहर**
